


अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/88/2016-17

19 अक्टूबर, 2016

श्री वी. के. राजन,
उपसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु महोदय,

संलग्न पत्र श्री सुलतान खान निवासी नजदीक पेट्रोल पंप माटोर रोड, वार्ड नं. 13, खैरथल जिला अलवर, राजस्थान का 06.10.2016 का इस कार्यालय में 14.10.2016 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रुपये का पो.आ. संख्या 26F 078159 संलग्न कर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में जानकारी चाही है। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु गृह मंत्रालय से संबंधित है, अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक को मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री एन.बी. मनी, अवर सचिव/लोक सूचना अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

✓ श्री सुलतान खान नजदीक पेट्रोल पंप माटोर रोड, वार्ड नं. 13, खैरथल जिला अलवर, राजस्थान - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Nalainsingh
20/10/16



17/11/16

To, Shri HAMID Ansari
vice president of India.
New Delhi - 110011

SUB: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना - जाहान
हेतु ।

Respected sir,

with great respect and humble submission,

I beg to submit the following few line for yours
Kind consideration and favourable action please.

सर. मेरे सलाम पत्र के संवलय मे उप राष्ट्रपती जी से मिलने
के लिए तिन तथा समय देने कि कृपा करे

BSF, CRPF, ITBP, ASSAM Rifles, DEHLI Police, Armed polices
etc सभी मे muslim persons के लिए राही रखने की
अनुमति है। लेकिन Indian Army मुसलमानों के इस मौलिक
अधिकार धर्म डिस्क्रिमिनेशन के अधिकार का हनन करती है।
यथा Army संविधान से अपरा है। जबकि Supreme Court
ने 2002 मे Army के 1991 के राही ना रखने के फा वी
जलब उदरसात है।

अतः विनम्र आग्रह है की उपराष्ट्रपती
जी से मिलने के लिए समय देने की कृपा करे।

I shall be ever gratefull for yours Kindness.

Thanking you sir,

6/10/2016

yours faithfully

—Sultankhan

Address: - Sultankhan s/o Umardeen Khan.
Near petrol pump mator road
Ward No. 13, Khairthal Dist - Alwar
Rajasthan - 301404